



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122025-268747
CG-DL-E-23122025-268747

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5748]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2025/पौष 1, 1947

No. 5748]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2025/PAUSHA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5945(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 5422(अ), दिनांकित 13.12.2024 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 552 विस्तार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और का.आ. 3655 (अ) दिनांकित 09.09.2021 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित मौजूदा शुल्क अधिसूचना के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 552 विस्तार के मिहोना से लहार से दबोह खंड के डिजाइन किमी 2.800 से किमी 10.955 और डिजाइन किमी 17.335 से किमी 36.540 और दबोह से भांडेर से उत्तर प्रदेश सीमा खंड के डिजाइन किमी 40.230 से किमी 70.525 और डिजाइन किमी 76.900 से किमी 89.860 और मिहोना बाईपास डिजाइन किमी 0.000 से 2.800, लहार बाईपास डिजाइन किमी 11.000 से 17.300, दबोह बाईपास डिजाइन किमी 36.500 से 40.200 और भांडेर बाईपास डिजाइन किमी 70.600 से 78.400 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन खंड के 72.808 किमी (तालिका-2) निवल सड़क खंड लंबाई और 5.16 किमी [0.516 किमी लंबाई वाली [तालिका-4]] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के साठ प्रतिशत दर पर और पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के 17.56 किमी (तालिका-3) बाईपास खंड की लंबाई के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के नब्बे प्रतिशत पर और चार लेन के 3.304 किमी [0.3304 किमी लंबाई वाली [तालिका-4]] की समतुल्य संरचना लंबाई

(60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा(ओं) में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में गोरेगांव गांव के निकट रारा-552 विस्तार के किमी/चै. 42+700 पर	72.808 किमी [बाईपास की लंबाई (लागत >10 करोड़) और संरचना की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर]	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी :-

तालिका-3						
पथकर प्लाजा (चैनेज) का अवस्थान	बाइपास का नाम	शुरू होने वाला	पर मिलने वाला	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर, जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी)	लागत (करोड़ रु. में)	
मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में गोरेगांव गांव के निकट रारा-552 विस्तार के किमी/चै. 42+700 पर	लहार बाईपास	11+000	17+300	6.30	17.64	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	दबोह बाईपास	36+500	40+200	3.70	13.13	
	भांडेर बाईपास	70+600	78+400	7.56	39.75	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

तालिका-4			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (मीटर में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में गोरेगांव गांव के निकट	0.516 किमी	5.160 किमी	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
रारा-552 विस्तार के किमी/चै. 42+700 पर	0.3304 किमी	3.304 किमी	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

अब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई किमी में
	किमी से	किमी तक		
1	किमी 30+544	किमी 30+635	बड़ा पुल (4 लेन)	0.0904
2	किमी 55+559	किमी 55+760	बड़ा पुल (2 लेन + पेव्ड शोल्डर)	0.201
3	किमी 71+925	किमी 72+165	बड़ा पुल (2 लेन + पेव्ड शोल्डर)	0.240
4	किमी 78+906	किमी 78+981	बड़ा पुल (2 लेन + पेव्ड शोल्डर)	0.075
5	किमी 90+964	किमी 91+204	बड़ा पुल (4 लेन)	0.240
कुल				0.8464

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रु. (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. शुल्क की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 517.45 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीई-आरओ/बीपीएल/15010/15/2019-20/ई-183209]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2025

S.O. 5945(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.5422(E) dated 13rd December, 2024, issued under Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the National Highway 552 Extension as situated in the State of Madhya Pradesh to the State Government of Madhya Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”) and in supersession of existing fee notification published vide notification vide S.O.3655(E) dated 09.09.2021, the Central Government hereby levies the fee at sixty percent of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 72.808 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 5.16 km (having length of 0.516 km [Table-4]) for 2 lane with paved shoulder section and at ninety percent of the base rate for bypasses having length of 17.56 km [Table-3] for two lane with paved shoulder section and at the rates specified in column (2) of the Table 1 for equivalent structure length (having length more than 60m) of 3.304 km (having length of 0.3304 km [Table-4]) on the type of the vehicles specified in column (1) of the Table 1, below of Mihona to Lahar to Daboh Section from design kilometer 2.800 to kilometer 10.955 and design kilometer 17.335 to kilometer 36.540 and Daboh to Bhandar to Uttar Pradesh Border Section from design kilometer 40.230 to kilometer 70.525 and design kilometre 76.900 to kilometer 89.860 and Mihona bypass design kilometre 0.000 to 2.800, Lahar bypass design kilometre 11.000 to 17.300, Daboh bypass design kilometre 36.500 to 40.200 and Bhandar bypass design kilometre 70.600 to 78.400 of National Highway 552 Extension in the State of Madhya Pradesh and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Table-2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch.42+700 of NH-552Ext. near Goragaon village(s) in Datia District in the State Madhya Pradesh	72.808 Km [Excluding length of Bypass (costing ≥ 10 Cr.) and length of structures (>60m)]	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Table-3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km/Ch.42+700 of NH-552Ext. near Goragaon village(s) in Datia District in the State Madhya Pradesh	Lahar Bypass	11+000	17+300	6.30	17.64	90% for the two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Daboh Bypass	36+500	40+200	3.70	13.13	
	Bhander Bypass	70+600	78+400	7.56	39.75	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table-4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km/Ch.42+700 of NH-552Ext. near Goragaon village(s) in Datia District in the State Madhya Pradesh	0.516 Km	5.160 Km	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.3304 km	3.304 km	100% of the base rates for four or more lane mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

Sr-	Chainage		Types of Structure	Length in Km
	From Km	To Km		
1	Km 30+544	Km 30+635	Major Bridge (4 lane)	0.0904
2	Km 55+559	Km 55+760	Major Bridge (2L +PS)	0.201
3	Km 71+925	Km 72+165	Major Bridge(2L +PS)	0.240
4	Km 78+906	Km 78+981	Major Bridge(2L +PS)	0.075
5	Km 90+964	Km 91+204	Major Bridge(4 lane)	0.240
Total				0.8464

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 340 (Rupees Three Hundred Forty only) for the year 2025-26 is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 517.45 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. CE-RO/BPL/15010/15/2019-20/E-183209]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.